मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-9

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2008 (फाल्गुन 20, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रकुल दिवस का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रकुल के सभी सदस्य देशों में मार्च माह का दूसरा सोमवार राष्ट्रकुल दिवस के रूप में मनाये जाने विषयक अनौपचारिक उल्लेख किया।

श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने भी उद्गार व्यक्त किए।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 82 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 85 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने मुरैना जिले में गजक में सेलम की मिलावट कर विक्रय किये जाने;

(2) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य ने मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड द्वारा गत वर्ष की परीक्षा के परिणाम नहीं भेजे जाने;

(3) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य ने डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल न मिलने तथा

(4) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य ने नेहरू नगर, भोपाल में ड्रेनेज कार्य अपूर्ण रहने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री हुकुम चन्द यादव, सदस्य ने खण्डवा नगर में नगर निगम की अनुशंसा के अनुरूप काम्पलेक्स का निर्माण न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री किशोर समरीते, सदस्य ने बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र में कृषकों से ऋणों की जबरन वसूली किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

5. याचिका की प्रस्तुति

श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल जिले के अन्तर्गत 11 नं. बस स्टाप (सांई बोर्ड के समीप), ईश्वर नगर में पानी सप्लाई किये जाने संबंधी याचिका प्रस्तुत की।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

6. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री हिम्मत कोठारी, गृह मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 3	पुलिस के लिए एक हजार चार सौ चौंतीस करोड़, तिरेसठ लाख, चौहत्तर हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए बारह करोड़, अठानवे लाख, बत्तीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 36	परिवहन के लिए सैंतीस करोड़, चौबीस लाख, चंवालीस हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 3	5, 13
मांग संख्या - 4	1
मांग संख्या - 36	1

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे
(2) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री अर्जुन पलिया
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री लालसिंह आर्य
(7) डॉ. गोविन्द सिंह
(8) श्री शंकरलाल तिवारी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(9) श्री आरिफ अकील
(10) श्री कपूरचंद घुवारा
(11) श्री किशोर समरीते
(12) श्री सुनील नायक
(13) श्री इन्द्रजीत कुमार
(14) श्री दरबूसिंह उइके

श्री हिम्मत कोठारी, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 6	वित्त के लिए तीन हजार चार सौ बहत्तर करोड़, सैंतीस लाख, पैसठ हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए तैतीस करोड़, अस्सी लाख, छियासठ हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 38	रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए सत्रह हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 50	बीस सूत्र कार्यान्वयन के लिए दो करोड़, इक्यासी लाख, तीन हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए एक सौ सत्तहत्तर करोड़, चौंतीस लाख, चौरानवे हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 74	वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 6	7, 9, 10

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) डॉ.गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च,2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 12	ऊर्जा के लिए तीन हजार चार सौ चौंतीस करोड़, ग्यारह लाख, अठारह हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए दो हजार एक सौ उन्नीस करोड़, साठ लाख, चौदह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 79	चिकित्सा शिक्षा के लिए दो सौ तिरासी करोड़, इकतालीस लाख, चौंसठ हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नालॉजी) के लिए चार करोड़, सात लाख, चालीस हजार रूपये;
अनुदान संख्या - 73	त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय के लिए अड़तालीस करोड़, चालीस लाख रूपये तथा
अनुदान संख्या - 77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए छह सौ एक करोड़, साठ लाख, चौहत्तर हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 12	9, 11, 13
मांग संख्या - 27	2, 11, 12, 13, 15

7. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

श्री रामनिवास रावत, श्री इन्द्रजीत कुमार तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि मांग संख्या 79 से संबंधित चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन सदस्यों को वितरित नहीं हुआ है अतः इससे संबंधित मांगों पर चर्चा आज प्रारम्भ नहीं की जाए।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि इस पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों को यह प्रतिवेदन शासन द्वारा वितरित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आसंदी से मांग पर चर्चा प्रारम्भ कराने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि यद्यपि माननीय सदस्यों की आपत्ति उचित है किन्तु शासन द्वारा ऊर्जा मंत्री से संबंधित अन्य मांगों पर चर्चा के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन वितरित करने का आश्वासन दिया है, अतः चर्चा प्रारम्भ की जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नही हो।

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए।

8. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री अर्जुन पलिया
(5) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(6) डॉ. गोविन्द सिंह
(7) श्री बृजमोहन दास धूत
(8) श्री इन्द्रजीत कुमार
(9) श्री नारायण परमार
(10) श्री रामनिवास रावत
(11) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(12) श्री आरिफ अकील

डॉ.गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारम्भ किया। **(भाषण अपूर्ण)**

अपराह्न 6.01 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2008 (फाल्गुन 21, शक संवत 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.